

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 222 / 14
संस्थापन दिनांक:-09 / 04 / 14
फायलिंग नं. 233504000082014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

कामजी पिता झिगू अहाके
 उम्र 40 वर्ष, निवासी तोरणवाड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 20.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 456, 354 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.03.2014 को रात्रि 04:00 बजे ग्राम तोरणवाड़ा टप्पोढाना खानापुर रोड प्रार्थिया के घर के अंदर थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया एवं अभियोक्त्र की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 18.03.2014 को रात्रि करीब 8 बजे अपने घर के अंदर खाना बना रही थी। उस समय वह अपने घर पर अकेली थी। तभी अभियुक्त ने उसे अकेली देखकर एकदम से उसके घर के अंदर घुसकर बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया एवं उसका ब्लाउस फाड़ दिया तथा सीना दबाने लगा। जब वह चिल्लायी तो अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। अभियुक्त ने उसे भागते-भागते किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 228/14 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 456, 354 भा०दं०सं० के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.03.2014 को रात्रि 04:00 बजे ग्राम तोरणवाड़ा टप्पोढाना खानापुर रोड प्रार्थिया के घर के अंदर थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया तथा अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 फरियादी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना दो तीन वर्ष पहले की ग्राम तोरणवाड़ा की है। घटना के समय उसका आरोपी से विवाद हो गया था। जिस कारण उसने अभियुक्त की रिपोर्ट थाना आमला में लिखायी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी और न ही अभियुक्त उसके घर के अंदर घुसा था। साक्षीने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लिखाया जाना एवं पुलिस द्वारा प्रदर्श पी-2 का मौका नक्शा बनाया जाना भी बताया है।

7 फरियादी (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना दिनांक को जब वह अपने घर के अंदर खाना बना रही थी तभी अभियुक्त आया और उसे पकड़ लिया एवं बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसका ब्लाउस फाड़ दिया था। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस सुझाव को सही बताया है कि उसका अभियुक्त से मात्र वाद विवाद हुआ था तथा उसने गुस्से में आकर अभियुक्त की मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

साक्षी ने इस बात को भी सही बताया है कि अभियुक्त उसके घर के अंदर नहीं घुसा था और न ही मेरे साथ कोई छेड़छाड़ की थी। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके घर के अंदर घुसकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया एवं अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। निष्कर्षतः अभियुक्त कामजी को धारा 456, 354 भा०दं०सं० के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)